राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 9(5)(5-1) एन.एस.ए.पी. / सा.न्या.अ.वि. / 08--09 / 🕏 🗸 🕇

जयपुर, दिनांक : 7-10-09

आदेश

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** (IGNWPS) प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित पात्रता की विधवाओं को रू.400/— प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है जिसमें भारत एवं राज्य सरकार की बराबर की हिस्सेदारी है:—

"मारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डॉ के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की विधवा जिसकी आयु 40 से 64 वर्ष के बीच की है"

भारत सरकार के पत्रांक जे-11013/02/2007/एन.एस.ए.पी./दिनांक 17.02.09 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशानुसार इस योजना के अन्तर्गत लामान्वितों की ग्रामीण क्षेत्रों में पहचान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा निदेशों के अनुरूप तैयार की गई बी.पी.एल. सूची 2002 को प्रयोग में लिया जाना है तथा शहरी क्षेत्रों में लामान्वितों की पहचान करने हेतु वर्तमान में प्रचलित बी.पी.एल. सूची को प्रयोग में लिया जाना है।

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त योजना को तुरन्त प्रमाव से राज्य में प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभान्वित विधवा को कुल देय पेंशन राशि क. 400/- प्रतिमाह में से भारत सरकार के हिस्से की राशि क. 200/- प्रतिमाह का भुगतान निम्नांकित बजट मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जायेगा :--

- 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 - 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यकम
 - 102 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन
 - (01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से
 - [07] इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
 - 24 पेंशन और उपदान (आयोजना)

राज्य सरकार के हिस्से की राशि रू. 200 / - प्रतिमाह का भुगतान निम्नांकित बजट मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जायेगा :--

- 2. 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 - 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा राधा कल्याण कार्यकम
 - 102 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन
 - (01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से
 - [05] विधवा पेंशन
 - 24 पेंशन और उपदान (आयोजना मिन्न)

Page- 15 E.\CAO\Satyendra 2\Madan ji\Office Order

website: http://swd.rajasthan.gov.in E-mail: swdrajasthan@yahoo.com Phone: (C.A.O.) - 0141 - 2220217 ھی

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि:-

- राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत पात्र विधवाओं को लाभान्यित करने की पेंशन योजना यथावत है।
- 2. ऐसी विधवाएं जो वर्तमान में राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रही है जिनकी आयु 40 से 64 वर्ष के मध्य है तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के अन्तर्गत पात्रता की शर्त पूर्ण करती है, उन्हें चिन्हित कर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) में स्थानान्तरित कर उपर्युक्तानुसार पेंशन का भुगतान किया जायेगा।
- 3. 40 वर्ष तक की आयु की विधवाएं जो राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पॅशन नियम 1974 के अन्तर्गत पात्रता रखती है, उन्हें राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पॅशन नियम 1974 के अन्तर्गत पॅशन देय होगी।

यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप 100903328 दिनांक 05.10.09 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी किये जाते हैं।

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(5)(5-1) एन.एस.ए.पी. / सा.च्या.अ.वि. / 08-09 / **5° 48 - 516** / प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

जयपुर, दिनांक 🗍 📗 🗸

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।

2. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. उप शासन सचिव, वित्त (आयोजना) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4. उप सचिव (जे), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।

निजी सचिव, राज्यमंत्री, सा.न्या.अ.विभाग, जयपुर।

6. सम्भागीय आयुक्त (समस्त)।

7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.न्या.अ.विभाग, जयपुर।

9. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

10. परियोजना निदेशक, (एस.सी.एस.पी.), सा.न्या.अ.विभाग, जयपुर।

11. समस्त कोषाधिकारी

12. उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परि. एवं स.क.अधिकारी, सा.न्या.अ.विभाग ..

मुख्य लेखाधिकारी

Page- 16

E:\CAO\Satyendra 2\Madan ji\Office Order

website: http://swd.rajasthan.gov.in E-mail: swdrajasthan@yahoo.com Phone: (C.A.O.) - 0141 - 2220217

No. J-11015/ 1/2011-NSAP Government of India Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi Dated June 34, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines for Central assistance under the Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS).

The undersigned is directed to refer to the guidelines of Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) issued vide O.M. No. J-11012/1/2009-NSAP dated 30th September 2009. The eligibility criteria mentioned in the guidelines for the purpose of claiming central assistance was that the age of widow shall be in the age group of 40-64 years and must belong to a household living below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

- 2. As a result of decision of the Government of India to lower the age limit from 65 years to 60 years under the ongoing Indira Gandhi National Old Age Pension(IGNOAPS), it has been decided to modify the eligibility criteria for widow pension under IGNWPS as follows:-
 - Eligibility Criteria

For purpose of claiming Central assistance, the following criteria shall apply:

-) The age of the widow shall be between 40-59 years.
- The applicant must belong to a household below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.
- 3. The other provisions regarding the 'Amount of Pension', 'Certificate of Coverage', 'Allocation of Funds', 'Discontinuation of Pension' etc. will remain the same as mentioned in the O.M. No. dated 30th September 2009.

(Sanjay Rumar Rukesh) Joint Secretary to the Government of Iudia

Secretary
In-charge of NSAP
All States/ Union Territories

No. J-11015/ 1/2012-NSAP Government of India Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi Dated:8 November, 2012

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines for Central assistance under the Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS).

The undersigned is directed to refer to the guidelines of Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) issued vide O.M. No. J-11015/1/2011-NSAP dated 30th June 2011. The eligibility criteria mentioned in the guidelines for the purpose of claiming central assistance was that the age of widow shall be in the age group of 40-59 years and must belong to a household living below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

2. Government of India has decided to revise the eligibility age from 40-59 years to 40-79 under the ongoing Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) and also to increase the rate of assistance from Rs. 200/- to Rs. 300/-. The revised norms will come into effect from 1:10:2012. Accordingly, the revised criteria for grant of pension under IGNWPS would be as under:-

I Eligibility Criteria

For purpose of claiming Central assistance, the following criteria shall apply:

1) The age of the widow shall be between 40-79 years.

II Amount of pension

The Central Assistance under IGNWPS will be provided at the rate of Rs. 300 per month per beneficiary.

3. The other provisions regarding 'Eligibility Criteria', 'Certificate of Coverage', 'Allocation of Funds', 'Discontinuation of Pension' etc. will remain the same as mentioned in the O.M. dated 30th June 2011.

(VIJAY SRIVASTAVA)

Joint Secretary to the Government of India

Secretary
In-charge of NSAP
All States/ Union Territories

10

3. The other provisions regarding 'Eligibility Criteria', 'Certificate of Coverage', 'Allocation of Funds', 'Discontinuation of Pension' etc. will remain the same as mentioned in the O.M. dated 30th June 2011.

(VIJAYA SRIVASTAVA)
Joint Secretary to the Government of India

Secretary In-charge of NSAP All States/ Union Territories